

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मंजूलता. बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ)


सू.अ.अ.अपील सं० 165/2023

24.08.23

अपीलार्थी मंजूलता गर्ग पत्नी कन्हैयालाल गर्ग, निवासी 18ई/36 चौ.हा.बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.02.23. में उसके द्वारा (1) तहसील शेरगढ में स्व. कन्हैयालाल गर्ग क. लि. के पद कार्यरत रहे जिनकी आप द्वारा वेतन आदि का भुगतान किया गया था उक्त अवधि का जी.ए. 55 दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से जरिये पत्रांक 145 दिनांक 18.08.23 सूचनार्थ पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुसार अपीलार्थीया/प्रार्थीया को सूचना दिनांक 18.08.23 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु अति विलम्ब से दी गई। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयावधि में करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
(ग्रामीण)

जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.